संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2017–18/ 8 | — भोपाल,दिनांक 26/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – बालाघाट, छिन्दवाडा, दतिया, देवास, झाबुआ, खण्डवा, नरसिहपुर, रायसेन, राजगढ, रतलाम, सतना, सिवनी, सीधी, विदिशा, बडवानी, बैतुल, बुरहानपुर, धार, होशगाबाद, मंडला, पन्ना, सागर, सीहोर, शहडोल, शिवुपरी, उज्जैन, अनुपपुर, भिण्ड, छतरपुर, डिण्डौरी, गुना, मुरैना, टीकमगढ, उमरिया,
प्राचार्य, नर्सिग कॉलेज
जिला – उज्जैन/जबलपुर
स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 ।

विषयः–नर्सिग संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में ।
संदर्भ :– इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6/बजट/2017–18 दिनांक 7.02.2018 पत्र 955 दिनांक 15.02.2018 ।

:–:–:

विषयान्तर्गत अत्यंत खेद का विषय है, कि स्वास्थ्य आयुक्त महादेया के निर्देश होने के बाद भी आपने आप के अधीन नर्सिग संस्थाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई ।

अब आप आपसे संबंधी जानकारी आपके क्षेत्रीय संचालक को उपलब्ध कराये जो कि 01.03.2018 को भोपाल आ रहे है ।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

पृ. क्रमांक/6/बजट/2017–18/ 8 | — भोपाल,दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश ।
2. क्षेत्रीय, संचालक समस्त की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है, कि आप संबंधित जानकारी अनिवार्यतः लेकर ही दिनांक 01.03.2018 को आये।
3. प्रभारी, एमआईएस, अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

26/2/18

D:\FINANCIAL YEAR 2017-18\FA LETTER 2017-18.DOCX 429

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2018/1010 भोपाल,दिनांक 26/02/2018

:: आदेश ::

:–:–:

अभी हाल ही में दिनांक 31.03.2017 अंत तक की कार्पोरेशन के रेट कान्ट्रेक्ट के लंबित देयकों की राशि जिलों में कोषालय सर्वर पर जारी की गई है। निम्न दल जिलों से सम्पर्क कर जारी क गई राशि वेण्डर को नियमानुसार भुगतान हुए या नहीं इसकी रिपोर्ट देगा। साथ ही शीघ्र ही संचालक(वित्त) के अधीन विडियो कांफ्रेसिंग की जायेगी, जिसमें की इस पेंडेंसी के क्लीअरैंस होने हेतु रिव्यू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संचालनालय के पत्र क्रमांक/6/बजट/2018/971 दिनांक 19.02.2018 के प्रकाश में कार्पोरेशन से समन्वय कर , जिन जिलों द्वारा जानकारी नहीं दी गई कि वस्तुस्थिति दिनांक 08.03.2018 तक प्रस्तुत करें:–

1. डॉ.इन्द्रजीत सिकरवार, उप संचालक(उर्पाजन)
2. श्री दीपेश राज ,कनिष्ठ लेखाधिकारी

संचालक स्वास्थ्य सेवायें(वित्त) द्वारा आदेशित

(डॉ0राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाय म.प्र.

पृ.क्र/6/बजट/2018/1011 भोपाल,दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक,(एन.एच.एम.) की ओर सूचनार्थ ।
4. प्रबंध संचालक,कार्पोरेशन की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें(वित्त) की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी एम.आई.एस.विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2018/ 1007 भोपाल,दिनांक 26 /02/2018

प्रति,

1. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
2. समस्त,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.,।
4. संचालक,राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त,जिला मलेरिया अधिकारी,म.प्र.।
6. समस्त,प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त,प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला–ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
8. अधीक्षक–जे.एस.आर इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के.भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषयः–पी.ओ.एल के व्यय के संबंध में।

:–:–:

विषयान्तर्गत इस पत्र से संलग्न वाहनों की Off Road एवं On Road सूची दी गई है। शासन बजट से पी.ओ.एल का व्यय On Road वाहनों पर ही किया जाना है एवं इस सूची में जब Off Road वाहन जो की नियमानुसार प्रक्रिया के बाद जब On Road सूची हो जाता है, तब उनपर पी.ओ.एल व्यय किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं

Ordered by Director

(डॉ0राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाय,म.प्र.

पृ.क्र/6/बजट/2018/ 1008 भोपाल,दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,स्थानीय कार्यालय।
3. प्रभारी एम.आई.एस.विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

23/2/18

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र

शासकीय वाहनों की संभाग/ जिलेनुसार अद्यतन स्थिति फरवरी –2018

क्र.	जिला	सी.एम.एच.ओ.				सिविल सर्जन				डी.एम.ओ.				रिमार्क	
1	भोपाल संभाग	शासकीय वाहनों की संख्या ऑन रोड/ऑफ रोड		दान में प्राप्त वाहनों की संख्या ऑन रोड/ऑफ रोड		शासकीय वाहनों की संख्या ऑन रोड/ऑफ रोड		दान में प्राप्त वाहनों की संख्या ऑन रोड/ऑफ रोड		शासकीय वाहनों की संख्या ऑन रोड/ऑफ रोड		दान में प्राप्त वाहनों की संख्या ऑन रोड/ऑफ रोड		शासकीय	दान
		आन रोड	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड		
1	भोपाल	13	1	4	0	6	0	5	0	1	0	0	0	अधीक्षक सिविल अस्पताल बैरागढ़-02	अधीक्षक डॉ. के.एन.के. चिकि. भोपाल –03 अधीक्षक क्षय चिकि. भोपाल–02
2	सीहोर	9	6	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0		
3	बैतुल	7	10	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0		
4	हरदा	9	1	1	0	0	2	3	3	0	0	0	0		
5	होशंगाबद	9	3	2	1	0	1	2	2	0	1	0	0		
6	विदिशा	8	3	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0		
7	राजगढ	10	31	1	4	0	2	3	0	0	0	0	0		
8	रायसेन	18	0	11	0	1	0	2	0	1	0	0	0		
	कुल	83	55	24	5	12	7	18	7	3	1	0	0		
2	इंदौर संभाग	आन रोड सी.एम.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड सी.एस.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड डी.एम.ओ.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड		
9	इन्दौर	17	9	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0		
10	धार	13	13	13	0	2	1	3	0	0	1	0	0		
11	झाबुआ	13	4	1	0	1	0	2	0	2	1	0	0		
12	अलीराजपुर	3	13	2	5	2	2	1	1	0	0	0	0		
13	खण्डवा	16	2	1	1	2	0	3	0	0	0	0	0		
14	बुरहानपुर	6	3	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0		
15	खरगोन	11	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
16	बडवानी	8	7	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0		
	कुल	87	52	27	8	16	7	11	2	3	2	0	0		
3	उज्जैन संभाग	आन रोड सी.एम.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड सी.एस	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड डी.एम.ओ.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड		
17	उज्जैन	7	6	9	3	4	1	6	1	1	1	0	0		
18	नीमच	10	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
19	मंदसौर	10	10	8	0	0	1	4	0	1	0	0	0		
20	शाजापुर	4	3	4	2	4	0	2	2	0	0	0	0		
21	आगर	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
22	देवास	5	5	3	6	2	0	2	0	0	0	0	0		
23	रतलोम	6	2	3	0	3	1	0	0	1	0	0	0		
	कुल	43	29	27	11	16	3	16	3	3	1	0	0		
4	रीवा संभाग	आन रोड सी.एम.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड सी.एस.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड डी.एम.ओ.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड		
24	रीवा	11	9	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0		
25	अनुपपुर	13	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0		
26	उमरिया	5	3	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0		
27	शहडोल	13	12	3	0	3	0	2	1	1	0	0	0		
28	सीधी	6	2	8	0	1	1	6	0	1	1	0	0		
29	सतना	13	7	7	0	2	1	1	0	0	0	0	0		
30	सिंगरौली	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	कुल	70	37	23	0	10	3	14	2	2	1	0	0		

री –2018

	ग्वालियर संभाग	आन रोड सी.एम.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड सी.एस.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड डी.एम.ओ.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड		
31	ग्वालियर	6	5	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0		
32	भिण्ड	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
33	मुरैना	4	25	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0		
34	श्योपुर	2	1	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0		
35	शिवपुरी	8	11	4	0	5	1	0	0	0	0	0	0		
36	गुना	18	12	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0		
37	अशोकनगर	1	17	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0		
38	दतिया	9	14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0		
	कुल	55	85	9	2	13	11	5	3	2	1	0	0		
6	सागर संभाग	आन रोड सी.एम.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड सी.एस.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड डी.एम.ओ.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड		
39	सागर	12	14	11	3	4	0	2	0	1	0	0	0		
40	टीकमगढ	13	5	3	0	1	2	3	0	0	0	0	0		
41	छतरपुर	7	18	3	0	1	4	1	0	0	0	0	0		
42	पन्ना	10	10	4	4	0	2	1	0	0	0	0	0		
43	दमोह	7	4	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0		
	कुल	49	51	22	7	6	9	11	0	1	0	0	0		
7	जबलपुर संभाग	आन रोड सी.एम.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड सी.एस.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड	आन रोड डी.एम.ओ.	आफ रोड	आन रोड	आफ रोड		
44	जबलपुर	23	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0		
45	नरसिंहपुर	4	3	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0		
46	कटनी	3	12	4	2	3	0	2	0	0	0	0	0		
47	मण्डला	8	0	0	0	5	0	2	0	1	0	0	0		
48	बालाघाट	10	17	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0		
49	छिन्दवाडा	23	15	8	4	2	0	2	0	2	0	1	1		
50	सिवनी	7	7	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0		
51	डिण्डोरी	10	8	1	1	1	0	0	0	1	2	0	0		
	कुल	88	64	13	22	19	1	7	1	6	3	1	1		
	महायोग	475	373	145	55	92	41	82	18	20	9	1	1		

कुल आन रोड – 815

कुल आफ रोड–497 (ये वाहन मेजर/माईनर मरम्मत कार्य एवं टायर टयूब आदि के कारण आफ रोड खडी हैं।)

22/12/18

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, की वाहनों की जानकारी

क.	संभागों के नाम	वाहनो की संख्या	आन रोड	आफ रोड	रिमार्क
1	भोपाल	10	5	5	
2	इंदौर	6	5	1	
	प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र	2	2	0	
3	उज्जैन	2	2	0	
4	रीवा	5	2	3	
5	सागर	4	3	1	
6	ग्वालियर	5	5	0	
	संचालक राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान ग्वालियर	2	1	1	
	प्राचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र	4	2	2	
7	जबलपुर	7	7	0	
	प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र	3	0	3	
	योग	50	34	16	

अंतिम समय–सीमा
दिनांक 26.02.2018
मध्यान्ह 12:00 बजे

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2017–18/1001 भोपाल,दिनांक 24/02/2018

प्रति,

1. संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरों भोपाल।
2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलीराजपुर/बालाघाट/बैतूल/दमोह/दतिया/देवास/झाबुआ/कटनी/खण्डवा/मंदसौर/नीमच/पन्ना/रायसेन/रीवा/सागर/सतना/शाजापुर/श्योपुर/सीधी/टीकमगढ़/उज्जैन/उमरिया/विदिशा/आगर–मालवा।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
अलीराजपुर/अनुपपुर/अशोकनगर/बैतूल/भोपाल/बुरहानपुर/छतरपुर/दमोह/दतिया/देवास/धार/गुना/ग्वालियर/हरदा/इन्दौर/खरगौन/मंदसौर/मुरैना/नीमच/पन्ना/रायसेन/रीवा/सतना/शहडोल/शाजापुर/शिवपुरी/सिंगरौली/टीकमगढ़/उज्जैन/उमरिया/आगर–मालवा ।
4. जिला मलेरिया अधिकारी,
अलीरापजुर/अनूपपुर/अशोकनगर/बालाघाट/बड़वानी/बैतूल/भिण्ड/भोपाल/बुरहानपुर/छतरपुर/दमोह/दतिया/देवास/धार/डिण्डौरी/गुना/ग्वालियर/हरदा/होशंगाबाद/इन्दौर/जबलपुर/कटनी/खण्डवा/खरगौन/मण्डला/मंदसौर/नीमच/पन्ना/रायसेन/राजगढ़/रीवा/सागर/सतना/सीहोर/सिवनी/शहडोल/शाजापुर/सिंगरौली/टीकमगढ़/उज्जैन/उमरिया/विदिशा/आगर–मालवा।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं,
भोपाल/ग्वालियर/रीवा/सागर/उज्जैन
6. अधीक्षक, एम.आर.टी.बी. इन्दौर।
7. प्राचार्य ट्रेनिंग सेंटर,
ग्वालियर/जबलपुर/
8. अधीक्षक, बैरागढ़/ टी.बी. अस्पताल भोपाल नौगांव/ जबलपुर/ छिंदवाड़ा
9. प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज उज्जैन जबलपुर।

विषयः–वेतन/स्टाईपेड एवं मजदूरी एवं नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन मॉग के निराकरण के संबंध में ।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6/बजट–2210/2017–18/976 भोपाल दिनांक 20.02.2018 (संलग्न छायाप्रति)

:—:—:

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में अत्यंत खेद के साथ सूचित किया जाता हैं कि उपर्युक्त अंकित अधिकारियों द्वारा उनके वेतन/स्टाईपेंड एवं मजदूरी एवं नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन मांग के निराकरण के संबंध में दिनांक 23.02.2018 की समय सीमा होने के बावजूद अवगत नहीं कराया हैं।

अतः संदर्भित पत्र में अंकित प्रारूप में उपर्युक्त मदों में अविलंब मांग दिनांक 26.02.2018 को मंध्यान्ह 12:00 बजे तक adfindhs@nic.in पर भेजे। अन्यथा की स्थिति में उनको कोई राशि की आवश्यकता नहीं हैं यह मानकर संचालनालय स्तर पर कार्यवाही की जायेगी एवं फिर इस संबंध में संबंधित अधिकारी एवं लेखापाल किसी भी अप्रिय स्थिति / समस्या आदि के लिए व्यक्तिशः स्वयं उत्तदायी होंगे। यह तो स्पष्ट हैं कि जो जानकारी आप हमें भेजेंगे वह नितांत औचित्यपूर्ण ही होगी।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

पृ. कमांक / 6 / बजट / 2017–18 / 1002 भोपाल,दिनांक 24 / 02 / 2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश ।
3. संचालक प्रशासन एवं संचालक वित्त, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
4. प्रभारी, एमआईएस, अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त) 23.2.18
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक / 6 / बजट–2210 / 2017–18 / 999 भोपाल,दिनांक 25/ 02 / 2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
दतिया / सीहोर / भोपाल / श्योपुर / पन्ना / सतना / टीकमगढ़ / छतरपुर / गुना /
नीमच / रतलाम / ग्वालियर / मुरैना / शिवपुरी / अलीराजपुर /
सिंगरौली / झाबुआ / अशोकनगर / खरगौन / हरदा / छिंदवाड़ा / रीवा /
बैतूल / इन्दौर / शाजापुर / नरसिंहपुर / सीधी / खण्डवा / सिवनी

विषयः–एच.आर.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि में लापरवाही पर वेतन रोका जाना।

:–:–:

विषयान्तर्गत उपर्युक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को निरन्तर निर्देश के बाद भी एच.आर.एम.आई.एस. में प्रगति 50 प्रतिशत से कम हैं। अतः निर्देशानुसार उपर्युक्त अधिकारी का वेतन फरवरी पेड इन मार्च 2017 तब तक आहरित नहीं होगा जब तक कि वे इस संबंध में अपनी प्रगति कर संचालक प्रशासन से ओके रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर लेते एवं संचालनालय की वित्त शाखा को अवगत नहीं करा देते।

कृपया निर्देशों का पालन कड़ाई से हो।

23/2/18

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

पृ. कमांक / 6 / बजट / 2017–18 / 1000 भोपाल,दिनांक 25/ 02 / 2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश ।
3. संचालक प्रशासन एवं संचालक वित्त, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
4. प्रभारी, एमआईएस, अपलोड करने हेतु ।

23/2/18

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्र./6/बजट–2210/2017–18/997 **भोपाल,दिनांक 24/02/2018**

प्रति,

समस्त,

क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश।

विषयः–दिनांक 01.03.2018 को स्वास्थ्य आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बाबत्।

:–:–:

विषयान्तर्गत स्वास्थ्य आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 01.03.2018 को प्रातः 11.00 संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें स्थित चतुर्थतल सभागृह में रिव्यू समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में आपके कार्यालय एवं आपके क्षेत्राधिकार के अधीन समस्त कार्यालय के निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हेतु प्रगति एवं अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें:–

1.अस्पताल प्रशासन शाखा से संबंधित बिन्दुः–

1. साफ–सफ़ाई, सुरक्षा, डायलसिस मशीन, सी.टी.स्केन , बायोमेडिकल बेस्ट, नए भवनों में फर्नीचर , स्टॉफ , उपकरण आदि संचालित होने की स्थिति एवं सुपर स्पेशलिस्ट योजनाओं के संबंध में प्रगति।

2. वित्त प्रभाग शाखा :–

1. नए नियुक्त चिकित्सा अधिकारी के प्रान नम्बर आवंटित किये जाने की कार्यवाही।
2. लंबित पेंशन प्रकरण एवं किस कारण से लंबित है।
3. 6वे वेतनमान तक वेतन निर्धारण प्रकरणों की स्थिति।
4. ग्रामीण एवं अधिसूचित क्षेत्रों में वित्त विभाग के पत्र कमांक एफ 4–3/2017/नियम चार दिनांक 22.04.2017 सहपठित लो.स्वा.प.क. का पत्र कल्याण एफ–10/04/2018/सत्रह/मेडि–2 दिनांक 21.02.2018 के पत्र पर व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ते को प्रदान करने संबंधी कार्यवाही।
5. 7वां वेतनमान के प्रदाय की स्थिति एवं जिन प्रकरणों में प्रदाय नहीं हो सका उनकी समीक्षा।
6. खपने वाले एवं नहीं खपने वाले सामग्री का भण्डार सत्यापन की स्थिति।
7. व्यय अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी का नाम सूचित किये जाने के संबंध में जानकारी।
8. कर्मचारियों के स्वत्वों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही स्थिति आदि।

3. वित्त शाखा (एनएचएम)

1 एफ.एम.आई.एस में समय पर इंद्राज न होना।

2. पी.एफ.एम.एस का उपयोग न होना एवं राशि की समय पर मांग उपलब्ध न होना।

4. प्रशासन शाखा

1. विज्ञप्त/अविज्ञप्त शाखा के पदों की स्थिति।
2. अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण एवं उनकी मानीटरिंग
3. सीधी भर्ती के पदों का रोस्टर संधारण
4. पदोन्नत के पदों का नियमानुसार रोस्टर संधारण
5. जांच संबंधी कार्यवाही।

5. नर्सिंग शाखा

1. ए.एन.एम.टी.सी. जी.एन.एम.टी.सी. के संचालन की स्थिति,
2. वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की स्थिति

उपर्युक्त बिन्दुओं पर अद्यतन जानकारी लेकर आए इसी के साथ आपके संभागीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ कनिष्ठ लेखाधिकारी को भी उनको लेकर उक्त बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित रहें, इसके अतिरिक्त आपके क्षेत्राधिकार में आने वाली विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के विद्युत देयकों को संबंधित विद्युत कम्पनियों में भुगतान करने के लिए आपको नोडल अधिकारी बनाने पर विचार किया जा रहा है। अतः संबंधित भुगतान करने वाले एवं इस विषय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को भी अनिवार्यतः साथ में लेकर आवें। उपर्युक्त के अतिरिक्त आपके क्षेत्राधिकार के उपर्युक्त विषयों से संबंधित अन्य बिन्दु जो की बेहतर प्रशासनीक व्यवस्था हेतु आवश्यक हो एवं आप उनको बताना चाहते हो, उनकी जानकारी भी साथ में लेकर आए।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित</u>

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

23/2/18

पृ.क्र/6/बजट–2210/2017–18/998 **भोपाल,दिनांक 24/02/2018**

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वल्लभ मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,स्थानीय कार्यालय।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें स्थानीय कार्यालय कृपया बैठक में भाग ले।
4. संचालक,एन.एच.एम(वित्त) की ओर भेजकर लेख है कि उक्त बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य हैं ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला – उज्जैन/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा/भोपाल में पदस्थ कनिष्ठ लेखाधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. प्रभारी एम.आई.एस.विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

23/2/18

स्मरण-पत्र

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/लेखा/पेन्शन/2018/336 भोपाल, दिनांक 27/02/2018

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संचालक,
स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश।

विषय :– सेवानिवृत्त शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवकों के पेन्शन प्रकरणों का सामयिक निराकरण।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र कमांक6/लेखा/पेन्शन/2018/296 दिनांक 05.01.2018 एवं संचालक, पेन्शन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल का अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 346 दिनांक 11.01.2018

--0--

उपरोक्त संचालक, पेन्शन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल का अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 346 दिनांक 11.01.2018 की छायाप्रति संलग्न कर लेख हैं कि पेन्शन प्रकरणों के सामयिक निराकरण के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित समाधान ऑनलाईन कार्यकम में निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः आप अपने संभाग के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं में लंबित पेन्शन प्रकरणों कि नियमित समीक्षा आयोजित कर पेन्शन प्रकरणों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन/सहयोग/लापरवाही करने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें। ताकि पेन्शन प्रकरणों का हर स्तर पर निश्चित समयावधि के अंतर्गत निराकरण किया जा सके।

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक 6/लेखा/पेन्शन/2018/337 भोपाल, दिनांक 27/02/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संचालक, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
2. संचालक, पेन्शन, भविष्य निधि एवं बीमा, किसान भवन, भोपाल।
3. एम.आई.एस शाखा प्रभारी, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र/6/अति0संचा0/एस0पी0ए0/2017–18/21 भोपाल,दिनांक 21/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला :– भोपाल/सागर/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/उज्जैन/रीवा
मध्यप्रदेश ।

विषयः–संचालनालय कोष एवं लेखा (वित्त विभाग) से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ जिले में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के संबंध में।

संदर्भः– संचालनालय कोष एवं लेखा के आदेश कमांक/सं0को0ले0/एस.ए.एस./स्था./2017/1612 दिनांक 30.11.2017 एवं संचालनालय के पत्र क्र/6/अति0संचा0/एस0पी0एस0/2017–18/ भोपाल,दिनांक 23/01/2018

00000

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर आये कनिष्ठ लेखाधिकारी की उपादायक्ता बढाने हेतु इस पत्र से संलग्न मासिक डायरी पत्रक संलग्न किया जा रहा है संबंधित कनिष्ठ लेखाधिकारी ADFINDHS@NIC.in पर उनके द्वारा किए गए कार्य का विवरण प्रतिमाह की 5 तारीख तक ईमेल से संचालनालय भिजवायेगें संबंधितो को निर्देश दे । संचालनालय स्तर पर इन डायरियों से संबंधितों के कार्य पर मूल्यांकन किया जायेगा ।

संबंधित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावलियॉ यदापि आपके द्वारा Initiate कर अपर संचालक, वित्त को भेजी जायेगी जो कि संचानालय के पूर्व पत्र दिनांक 23.1.18 द्वारा आगे प्रस्तुत की जायेगी ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

पृ.क्र/6/अति0संचा0/एस0पी0ए0/2017–18/22 भोपाल,दिनांक 21/02/2018

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर संचालनालय के पत्र 6/बजट/935 दिनांक 7.2.18 के प्रकाश में प्रेषित ।
3. समस्त कनिष्ठ लेखाधिकारी, संबंधित कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की और पालनार्थ ।
4. MIS शाखा ।

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

D:\FINANCIAL YEAR 2017-18\FA LETTER 2017-18.DOCX 422

मासिक डायरी पत्रक

अधिकारी का नाम :- ----------------------------------

वर्तमान पद पर पदस्थापना की तिथि दिनांक ------------------------------

कार्यालय का नाम :- --

ई. मेल एड्रेस (अनिवार्य) --------------------------

माह. -----------------

क्र.	कार्य का विवरण	वित्तीय वर्ष के लक्ष्य	माह में किये गये कार्य/संख्या	रिमार्क
1	कार्यालय द्वारा सौपे गये कार्य–			
2	नस्तियों की संख्या जिसमें वित्तीय सलाह दी गई			
3	वित्तीय आदेशों की संख्या जो आपके ~~हस्ताक्षर से जारी किये~~ सलाह से जारी किये गये			
4	आपकी वित्तीय सलाह के विरूद्व विभाग द्वारा निर्णित किये गये प्रकरणों की संख्या			
5	अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण /ऑडिट			
6	किये गये वेतन निर्धारणों की संख्या कुल कर्मचारियों संख्या -----			
7	जिनका वेतन निर्धारण नही हुआ है उन कर्मचारियों की संख्या			
8	विभाग द्वारा सौपे गये शिकायतों की जॉच की संख्या			
9	वित्त/विभाग संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा जॉच हेतु भेजे गये जांच प्रकरणों की संख्या			
10	अन्य ऐजेंसी (मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, ई0ओ0डब्लयू0 कलेक्टर तथा संभागीय कमिश्नर) से प्राप्त शिकायत प्रकरणों की संख्या			
11	वित्त विभाग की सहमति के बिना जारी किये गये ऐसे वित्तीय आदेश जिनमें वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति ली जानी चाहिए थी । (सूची संलग्न)			
12	माह के दौरान प्राप्त नस्तियों (गैर वित्तीय) की संख्या			
13	पेंशन प्रकरणों की संख्या			
14	ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों की संख्या जिनके पेंशन प्रकरणों का निराकरण नही हुआ है-------			
15	आगामी छः माह में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या			
16	जिला पेंशन अधिकारी को प्रेषित की संख्या - निरंक			
17	ऐसे लंबित पेंशन प्रकरण जिनमें पी.पी.ओ. जारी किया जा चुका है।			

18	कितने लोग अभी प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे है कितने लंबित है-----			
19	वित्त विभाग की सहमति के बिना आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के स्तर पर विभाग द्वारा खोले गए खातों की जानकारी			
20	प्राप्त बजट का जिला स्तर पर व्यय हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये या नहीं, यदि हॉ तो किस प्राधिकारी से।			
21	राज्य शासन/संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया, किन प्रकरणों में ।			
22	भण्डार क्रय नियमों/ड्रग पालिसी का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया एवं क्रय भी इन्ही नियमों का पालन करते हुये किया।			
23	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उपरांत समयावधि में उनके स्वत्त संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया गया यदि हॉ तो कितने।			
24	कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/सा. भविष्य निधि से आंशिक आहरण (पार्ट फाईनल) /अंशदायी भविष्य निधि योजना के कितने प्रकरण।			
25	लोक लेखा समिति की कंडिकाओं/आडिट कंडिकाओं का निराकरण कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई।			
26	नियमानुसार कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान से संबंधित समस्त कार्यो की मॉनिटरिंग की जा रही है एवं उसमें क्या समस्या उत्पन्न हो रही है।			
27	जिले में वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण हेतु उनके अधिनस्थ कार्यरत लेखापाल /लेखा संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य की सतत् मानिटरिंग/गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है।			
28	कर्मचारियों के स्वत्व संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण ।			
29	परिवार नियोजन के अंतर्गत असफल प्रकरणों में नियमानुसार क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्य।			
30	जिले में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों का समय-सीमा में संचालनालय को उत्तर प्रेषित किये जाने का कार्य।			
31	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपे गये अन्य वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य।			
32	कोई विशेष उपलब्धि/कार्य			

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट–2210/2017–18/ 976 भोपाल,दिनांक 20/02/2018

प्रति,

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त, प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला–ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
8. अधीक्षक–जे.एस.आर इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के.भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषयः– वेतन/स्टाईपेड एवं मजदूरी एवं नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन मॉग के निराकरण के संबंध में ।

:—:—:

विषयान्तर्गत विभिन्न आहरण संवितरण अधिकारियों से वेतन एवं स्टाइपेड एवं मजदूरी मद में न वितरित हो पाने या लेखाशीर्षो में राशि कम होने के संदेश प्राप्त हो रहे है साथ ही नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के प्रान नम्बर चूकि आगामी 3 दिवस में जनरेट करवा कर उनका वेतन प्रदान करने की जिम्मेदारी संभागीय संचालक एव संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निभानी है एवं जब तक इन नवनियुक्तों का वेतन आहरित नहीं होता तब तक श्रेत्रीय संचालक एवं संबंधित सीएमएचओ का वेतन आहरित नहीं होगा इनका वेतन आहरित तबी होगा जबकि संचालनालय से यह क्लीरेंस प्राप्त कर ले ऐसे निर्देश स्वास्थ्य आयुक्त महोदया द्वारा पूर्व में दिये गये है।

यदापि पूर्व में संचालनालय से विभिन्न मदों में पुनर्विनियोजन कर राशि उपलब्ध कराई गई है फिर भी उपरोक्त मदों में राशि की आवश्यकता डीडीओ द्वारा महसूस की जा रही है ।

अतः इस प्रकार उद्भूत समस्त मॉग उपरोक्त तीनों ही मदों में एवं सातवे वेतनमान के प्रदाय के प्रकाश में इन मदों की लंबितिकरण एवं मार्च 2018 अंत तक की आवश्यकता अर्थात् इस वित्त वर्ष की लंबित वेतन/स्टाईपेड/मजदूरी भुगतान सहित शेष अवधि में कितनी राशि की आवश्यकता होगी । निम्न पत्रक में अतिरिक्त संचालक, वित्त के ईमेल पर **ADFINDHS@NIC.IN पर विषय वेतन मद में मॉग की पूर्ति के संबंध में** विषय लिख कर 23.02.2018 तक अवगत करावें ।

Bco Code	D.N.	Major	Submajor	Minor	Scheme	Segment	Charged	Object	Detailed	Requirment of Amount (In Lac R.S.)

उपरोक्त दिनांक तक ई मेल न आने की दशा में यह समक्षा जायेगा कि आपको राशि की आवश्यकता नहीं है, फिर इस संबंध में किसी भी प्रकार का आपका दावा अमान्य हो जाने की दिशा में आप एवं आपके लेखापाल व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें ।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

पृ. कमांक/6/बजट/2017–18/..977 भोपाल,दिनांक..20/02/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश ।
3. संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
4. उपरोक्त जानकारी एकत्र करने हेतु निम्नानुसार ड्यूटी लगाई जाती है साथ ही संबंधित अधोअंकित अधिकारी नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों में से किस के प्रान नम्बर जनरेट हुये एवं जनरेट में क्या समास्या है, कि संभाग वार सूची भी प्रस्तुत करेगें एवं संबंधित क्षेत्रीय संचालको एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से व्यक्तिशः दूरभाष पर संपर्क कर सही जानकारी प्रस्तुत करेगें ।

संभाग का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम
जबलपुर	श्रीमति सुनिता चौरसे, कनिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय कार्यालय
उज्जैन,	श्री दीपेश राज, कनिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय कार्यालय
रीवा	श्री अविनाशगौर शेटटीवार, कनिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय कार्यालय
भोपाल	श्री प्रतीक नेताम, कनिष्ठ लेखाधिकारी, सीएमएचओ कार्यालय भोपाल
ग्वालियर	श्री प्रभाकर ढोके, जूनियर आडिटर , स्थानीय कार्यालय
इंदौर	श्री गिरिराज गुप्तां, लेखापाल, स्थानीय कार्यालय
सागर	श्री मुकेश खटक, लेखापाल, स्थानीय कार्यालय

5. प्रभारी, एमआईएस, अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त) 20/2/18
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2018/967 भोपाल,दिनांक 19/02/2018

प्रति,

1. समस्त,क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
2. समस्त,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।

विषयः–नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन के संबंध में।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्रमांक/6/बजट/2018/965 दिनांक 16.02.2018

:–:–:

विषयान्तर्गत संदर्भित में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.02.2018 तक नवनियुक्त चिकित्सा पदाधकारियों के प्रान नम्बर जनरेट कराये जाए एवं उनकों 7वे वेतनमान में नियमानुसार वेतन दिलावाया जाए।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जब नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को वेतन उनको नहीं प्राप्त हो जाता है एवं आप इसको प्रमाणीत नहीं कर देते कि आपके क्षेत्राधिकार में आपके संभाग में कोई भी प्रकरण नहीं है एवं संचालनालय से इस संबंध में जब आपके वेतन आहरण के संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते आप अपना वेतन नहीं निकालेंगे। आपके कार्य में सहयोग हेतु आपके अधिनस्थ संभागीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में वित्त विभाग के कनिष्ठ लेखाधिकारी जो की पदस्थ किये गये है, उनको इस कार्य में नियोजित किया जाए।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा आदेशित

(डॉ0राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाय,म.प्र.
19/4/18

पृ.क्र/6/बजट/2018/968 भोपाल,दिनांक 19/02/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,स्थानीय कार्यालय।
3. समस्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
4. श्री प्रतीक नेताम कनिष्ठ लेखाधिकारी,सी.एम.एच.ओ जिला– भोपाल/ श्री सत्येन्द्र तिवारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, सी.एम.एच.ओ जिला–सागर/ श्री अमित तिवारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, सी.एम.एच.ओ जिला–जबलपुर/श्री. दिनेश सोलंकी, कनिष्ठ लेखाधिकारी,सी.एम.एच.ओ जिला–उज्जैन/ श्री जितेन्द्र रोजड़े, कनिष्ठ लेखाधिकारी,सी.एम.एच.ओ जिला–इंदौर/श्री अरूण शुक्ला, कनिष्ठ लेखाधिकारी,सी.एम.एच.ओ जिला–रीवा/श्री जितेन्द्र मिथोरिया, कनिष्ठ लेखाधिकारी,सी.एम.एच.ओ जिला–ग्वालियर,म.प्र.,की ओर सूचनार्थ एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्त कार्यवाही आरंभ करें।
5. प्रभारी एम.आई.एस.विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र
19/2/18

- 31 -C:\Users\tcs\Desktop\year 2018\Latter S.P.A To A.D(F).doc -2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 6 / बजट–2210 / 2017–18 / 965 भोपाल, दिनांक 16/02/2018

ध्यान से पढ़े

प्रति,

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त, प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला–ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
8. अधीक्षक–जे.एस.आर इटारसी / रानी दुर्गावती जबलपुर / के.एन.के.भोपाल / टी.बी. अस्पताल भोपाल / छतरपुर / छिन्दवाडा / जबलपुर / सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषयः– नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन के संबंध में ।

:—:—:

विषयान्तर्गत नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियमानुसार अन्य शासकीय सेवकों की भॉति 7वॉ वेतनमान का लाभ दिया जाना है, इन अधिकारियों के प्रान नॅबर जनरेट करवाने हेतु आपको पूर्व में संचालनालय के पत्र क्रमांक6 / बजट / 17–18 / 904 / 02.02.2018 सहपठित संचालक, पेंशन का पत्र क्रमांक सपेभनिवि / 2018 दिनांक 18.01.2018 का उल्लेख करते हुये एवं वाटसअप ग्रुप पर स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि संबंधित अधिकारियों को सातवें वेतनमान में ही नियमानुसार वेतन दिया जाना है, एवं प्रान नम्बर जनरेट करने में यदि कोई समास्या है, तो संचालक, पेंशन को एवं इस संचालनालय को अवगत कराया जाना है । आपकी सुविधा हेतु पूर्व में नवनियुक्त अधिकारियों की सूची आपकों उपलब्ध कराई गई थी ।

अत्यंत खेद का विषय है, कि पूर्व पत्रों द्वारा समय सीमाऐं दी गई परंतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई अतः आप अबिलम्ब कार्यवाही करें कि इस माह की उनकों तत्काल वेतन प्राप्त हो ।

यह भी निर्देशित किया जाता है, कि आपके क्षेत्राधिकार के उपर्युत नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों का वेतन उनको आप न दिलवा दें आप अपना एवं आहरण संवितरण अधिकारी का वेतन कदापि आहरण नहीं करेगें ।

निर्देशों का न मानना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा ।

16/2/18

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

D:\FINANCIAL YEAR 2017-18\FA LETTER 2017-18.DOCX 417

पृ. कमांक/6/बजट/2017–18/...966 भोपाल,दिनांक..16/02/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश ।
3. संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
4. प्रभारी, एमआईएस, अपलोड करने हेतु ।

16/2/18

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

D:\FINANCIAL YEAR 2017-18\FA LETTER 2017-18.DOCX 418

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2018/955 भोपाल,दिनांक 15/02/2018

T.L. 21.02.18

प्रति,

1. समस्त,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
2. समस्त,प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।

विषयः–नर्सिंग संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्रमांक/6/बजट/2018/937 दिनांक 07.02.2018

:–:–:

विषयान्तर्गत संदर्भित संचालनालय के पत्र का अवलोकन करें। अत्यंत खेद का विषय है कि समय–सीमा देने के उपरांत भी आपके द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अविलम्ब जानकारी प्रस्तुत करें। अन्यथा इस संबंध में स्वास्थ्य आयुक्त महोदया, के समक्ष आपको व्यक्तिशः उपस्थित होकर जानकारी देनी होगी।

इस पत्र को अंतिम पत्र माना जाए एवं तत्काल जानकारी उपलब्ध कराई जायें।

15/2/18

(डॉ0राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाय,म.प्र.

पृ.क्र/6/बजट/2018/956 भोपाल,दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,स्थानीय कार्यालय।
2. संचालक,स्वास्थ्य सेवों(वित्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें (नर्सिंग)मध्य प्रदेश।
4. प्रभारी एम.आई.एस.विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

15/2/18

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र

स्मरण–पत्र

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/6/आडिट/2017–18/ 1162 भोपाल,दिनांक 15/02/2018

प्रति,

1. **क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।**
2. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।**
3. **सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।**
4. **संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।**
5. **जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।**

विषयः–रोगी कल्याण समितियों के लेखा परीक्षा के संबंध में।
संदर्भः–संचालनालय का पत्र कमांक 6/आडिट/2017–18/1173 दिनांक 22.02.17, पत्र क.172 दिनांक एवं अ.शा.पत्र दिनांक11.8.17।

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र एवं अर्धशासकीय पत्र द्वारा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा रोगी कल्याण समितियों का किये गये ऑडिट रिपोर्ट में उठाये गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं की संक्षेपिका एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा आपके कार्यालयों में किये गये आडिटों का पालन प्रतिवेदन भेजने को लिखा गया है। आज दिनांक तक आपके द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा से न आडिट करवाई एवं न ही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

अतः आपकों पुनः स्मरण कराया जा रहा हैं की पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर स्थानीय निधि संपरीक्षा से आडिट करा कर एवं किये गये आडिट के पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता उपलब्ध करायें। अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(Ordered by Director)

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

पृ. क्रमांक 6/आडिट/2017–18/ 1163 भोपाल,दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र. ।
5. अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
6. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2018/937 भोपाल,दिनांक 07/02/2018

T.L 12 2/18

प्रति,

1. समस्त,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
2. समस्त,प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।

विषयः–नर्सिंग संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में।

:–:–:

विषयान्तर्गत आपके अधीन कार्यरत जी.एन.एम.टी.सी एवं ए.एन.एम.टी.सी को किन–किन गतिविधियों में किन–किन स्त्रोतों से एवं किस प्रकार राशि आवंटन की गई है, इसका आय व्यय पत्रक दिनांक 31.01.2018 अंत की स्थिति में अनिवार्यतः दिनांक 12.02.2018 तक अपर संचालक(वित्त) को उपलब्ध करावयें।

1. उल्लेखनीय है कि राज्य बजट एवं एन.एच.एम या अन्य किसी फण्ड से एवं जिन स्वीकृत गतिविधियों हेतु आपने कार्य किया है, उसकी सम्पूर्ण स्पष्ट जानकारी, आपके पत्रकों में हो।

2. नर्सिंग कॉलेज के निर्देश है कि आपको उपलब्ध कराये गए राज्य बजट की राशि एवं इसका उपयोग एवं अन्य किसी फण्ड स्त्रोत से यदि आपको राशि मिली हो, तो उनकी सम्पूर्ण जाकनारी आप भी उपरोक्तानुसार दिनांक 12.02.2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. समय–सीमा अशिथिलनीय है।राशि का आकंड़ा लाखों में हो एवं राशि जहॉ पर खर्च ना हो पाई है एवं वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकें है, उसका कारण एवं जिम्मेदारी भी स्पष्ट रूप से अवगत कराई जाए।

7/2/18

(डॉ0राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाय,म.प्र.

पृ.क्र/6/बजट/2018/938 भोपाल,दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,स्थानीय कार्यालय।
2. संचालक,स्वास्थ्य सेवों(वित्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें (नर्सिंग)मध्य प्रदेश।
4. प्रभारी एम.आई.एस.विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

7/2/18

अतिरिक्त संचालक(वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र

- 24 -C:\Users\tcs\Desktop\year 2018\Latter S.P.A To A.D(F).doc -2018

.No	S.No.	Institution Name	Institution Type	Batch Size (No. of student)		
1	1	Jabalpur Nursing College	Bsc nursing	60		
2	2	Ujjain Nursing College	Bsc nursing	60		
3	1	Balaghat GNM	GNM	60		
4	2	Chhindwara GNM	GNM	60		
5	3	Datia GNM	GNM	40		
6	4	Dewas GNM	GNM	60		
7	5	Jhabua GNM	GNM	60		
8	6	Khandwa GNM	GNM	60		
9	7	Mandsaur GNM	GNM	60		
10	8	Narsinghpur GNM	GNM	60		
11	9	Raisen GNM	GNM	60		
12	10	Rajgarh GNM	GNM	60		
13	11	Ratlam GNM	GNM	60		
14	12	Satna GNM	GNM	60		
15	13	Seoni GNM	GNM	60		
16	14	Sidhi GNM	GNM	60		
17	15	Vidisha GNM	GNM	60		
18	1	Barwani ANM	ANM	60		
19	2	Betul ANM	ANM	60		
20	3	Burhanpur ANM	ANM	40		
21	4	Chhindwara ANM	ANM	40		
22	5	Dhar ANM	ANM	60		
23	6	Itarsi ANM	ANM	60		
24	7	Mandla ANM	ANM	60		
25	8	Panna ANM	ANM	60		
26	9	Sagar ANM	ANM	60		
27	10	Sehore ANM	ANM	60		
28	11	Shahdol ANM	ANM	60		
29	12	Shivpuri ANM	ANM	60		
30	13	Ujjain ANM	ANM	40		
31	1	Barwani male MPW	MPW	60		
32	2	Sagar male MPW	MPW	60		
35	1	Annuppur ANM	ANM	40		
36	2	Bhind ANM	ANM	40		
37	3	Chhattarpur ANM	ANM	60		
38	4	Dindori ANM	ANM	40		
39	5	Guna ANM	ANM	20		
40	6	Morena ANM	ANM	60		
41	7	Tikamgarh ANM	ANM	60		
42	8	Umaria ANM	ANM	40		
43	1	Hamdia Hospital bhopal	GNM	35	under DME	Only Stipend paid to students
44	2	MY Hospital medical indore	GNM	41	under DME	
45	3	J.A Gwalior	GNM	41	under DME	
46	4	Medical college jabalpur	GNM	47	under DME	
47	5	G.M medical collge Rewa	GNM	32	under DME	
48	6	District Hospital sagar	GNM	60	under DME	

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट/2017–18/928 भोपाल, दिनांक 06/02/2018

प्रति,

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त, प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला–ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
8. अधीक्षक–जे.एस.आर इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के.भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषयः–बजट मॉग के संबंध में।

00000

विषयांतर्गत संचालनालय में विभिन्न माध्यमों से बजट के मॉग पत्र प्राप्त होते है, एवं पत्र विभिन्न अधिकारियों को पृष्ठांकित किए जाते है जो कि डाक की रूटिन प्रक्रिया में बार – बार वही पत्र वित्त शाखा में प्राप्त होता है इससे व्यस्थाओ पर पतिकूल प्रभाव पडता है । पूर्व में संचालनालय से यह निर्देश दिय गये थे, कि बजट मॉग के संबंध में पत्र सामान्यतः अतिरिक्त संचालक, वित्त को भेजे जाये ।

पुनः निर्देश दिये जाते है, कि आप की बजट मॉग के पत्र निम्न अनुसार भेजे जाये :–

1. डी.डी.ओ. वाईज बजट नॉन ग्लोबल मदों मे जारी किया जाता है ग्लोबल मदों में नहीं अतः ग्लोबल मदों में मॉग मत्र न भेजे।
2. मॉग पत्र के साथ विश्लेषणात्मक औचित्य निश्चय ही होना चाहिए साथ ही कोषालय सर्वर का पत्रक अवश्य भेजे ।
3. वास्तविकता एवं औचित्य से परे जाकर अत्यधिक राशि की मॉग न भेजे इस संबंध में औचक निरीक्षण/अनुश्रवण किया जायेगा एवं निर्देशों का पालन नहीं पाया गया तो इसको वित्तीय विसंगति माना जायेगा एवं कार्यवाही की जावेगी।
4. उपलब्ध बजट के अंदर ही मितव्यता पूर्वक कार्यवाही होनी चाहिए बजट की प्रत्यशा में दायित्व सृजित न किए जाये ।
5. जिन मदों में आप राशि का उपयोग नहीं कर सकते उसको कोषालय आई.डी. पर समर्पित करें ताकि उसका उपयोग अन्य कहीं हो सके । कृपया ध्यान दे वर्षान्त मे राशि आपके स्तर पर समर्पित या लैप्स की स्थिति बनी तो संबंधित लेखापाल एवं आहरण संवितरण अधिकारी व्यक्तिशः कार्यवाही के भागीदार होगें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

D:\FINANCIAL YEAR 2017-18\FA LETTER 2017-18.DOCX 348

4

पृ. क्रमांक 6/बजट/2017–18/929 भोपाल,दिनांक 06/02/2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
2. संचालक, वित्त, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय, भोपाल।
3. प्रभारी एमआईएस, विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/6/बजट/2017–18/ 1156 भोपाल,दिनांक 6/02/2018

प्रति,

1. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला–ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
8. अधीक्षक

विषयः–औषधि स्टोर एवं अन्य स्टोर (खपने वाले एवं न खपने वाले सामान) का सत्यापन में शिथिलता बरतने पर कारण बताओं नोटिस।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र कमांक6/बजट/2017–18/579 दिनांक 02.11.2017 एवं पत्र कमांक 671 दिनांक 25.11.2017

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपके कार्यालय के स्टोर औषधि स्टोर एवं अन्य स्टोर (खपने वाले एवं न खपने वाले सामान) का सत्यापन कर दिनांक 15.11.2017 तक सत्यापन की रिपोर्ट चाही गई थी जो आज दिनांक तक अप्राप्त हैं। म.प्र. वित्त संहिता के अध्याय 7 भण्डार में भण्डार संबंधी निर्देश दिये गये हैं कि भण्डार के संबंध में सत्यापन संबंधी कार्यवाही न करने पर एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन न करने से आपके द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्वभागी बना लिया गया हैं।

अतः औषधि स्टोर एवं अन्य स्टोर (खपने वाले एवं न खपने वाले सामान) का सत्यापन कर, दिनांक 12 मार्च 2018 तक सत्यापन की रिपोर्ट संचालनालय की ऑडिट शाखा को पत्र वाहक के हस्ते प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्यालय प्रमुख संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध **" म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) "** के अंतर्गत एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने कि कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 6/बजट/2017–18/ 1157 भोपाल,दिनांक 6/02/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र. ।
5. अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
6. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट/2017-18/928 भोपाल,दिनांक 06/02/2018

प्रति,

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त, प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला–ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
8. अधीक्षक–जे.एस.आर इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के.भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषयः–बजट मॉग के संबंध में।

00000

विषयांतर्गत संचालनालय में विभिन्न माध्यमों से बजट के मॉग पत्र प्राप्त होते है, एवं पत्र विभिन्न अधिकारियों को पृष्ठांकित किए जाते है जो कि डाक की रूटिन प्रकिया में बार – बार वही पत्र वित्त शाखा में प्राप्त होता है इससे व्यस्थाओ पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । पूर्व में संचालनालय से यह निर्देश दिय गये थे, कि बजट मॉग के संबंध में पत्र सामान्यतः अतिरिक्त संचालक, वित्त को भेजे जाये ।

पुनः निर्देश दिये जाते है, कि आप की बजट मॉग के पत्र निम्न अनुसार भेजे जाये :–

1. डी.डी.ओ. वाईज बजट नॉन ग्लोबल मदों मे जारी किया जाता है ग्लोबल मदों में नहीं अतः ग्लोबल मदों में मॉग मत्र न भेजे।
2. मॉग पत्र के साथ विश्लेषणात्मक औचित्य निश्चय ही होना चाहिए साथ ही कोषालय सर्वर का पत्रक अवश्य भेजे ।
3. वास्तविकता एवं औचित्य से परे जाकर अत्यधिक राशि की मॉग न भेजे इस संबंध में औचक निरीक्षण/अनुश्रवण किया जायेगा एवं निर्देशों का पालन नहीं पाया गया तो इसको वित्तीय विसंगति माना जायेगा एवं कार्यवाही की जावेगी।
4. उपलब्ध बजट के अंदर ही मितव्यता पूर्वक कार्यवाही होनी चाहिए बजट की प्रत्यशा में दायित्व सृजित न किए जाये ।
5. जिन मदों में आप राशि का उपयोग नहीं कर सकते उसको कोषालय आई.डी. पर समर्पित करें ताकि उसका उपयोग अन्य कहीं हो सके । कृपया ध्यान दे वर्षान्त मे राशि आपके स्तर पर समर्पित या लैप्स की स्थिति बनी तो संबंधित लेखापाल एवं आहरण संवितरण अधिकारी व्यक्तिशः कार्यवाही के भागीदार होगें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

D:\FINANCIAL YEAR 2017-18\FA LETTER 2017-18.DOCX 348

MIS web site पर अपलोड करें
6/2/18

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 6 / बजट / 2017–18 / 904 भोपाल,दिनांक 02/02/2018

प्रति,

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त, प्राचार्य –नर्सिंग कॉलेज– उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र ,जिला–ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश ।
8. अधीक्षक–जे.एस.आर इटारसी / रानी दुर्गावती जबलपुर / के.एन.के.भोपाल / टी.बी. अस्पताल भोपाल / छतरपुर / छिन्दवाडा / जबलपुर / सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषयः– नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन के संबंध में ।

संदर्भः– संचालनालय का पत्र क्रमांक6 / बजट / 2017–18 / 821 दिनांक 11.01.2018 एवं पत्र क्रमांक 836 दिनांक 19.01.2018

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा नये प्रान फार्म की व्यवस्था स्पष्ट की गई है। अतः सभी संबंधित प्रकरणों में अवलिम्ब कार्यवाही कराई जाए, साथ ही जुलाई 2017 में नये चिकित्सा अधिकारी जिनको प्रान आवंटित न पाने के कारण वेतन आहरित न हो पा रहा हैं, उक्त संबंध में भी संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। इस संबंध में समय–सीमा दिनांक 25.01.2018 तय की गई थी ताकि संबधितों को जनवरी 2018 पैड फरवरी 2018 तक उनके वेतन का भुगतान हो जाए। किन्तु आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई हैं आपको पुनः स्मरण कराया जा रहा हैं कि उपर्युक्त के संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही एवं अद्यतन जानकारी से संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म.प्र.

पृ. क्रमांक 6 / बजट / 2017–18 / 905 भोपाल,दिनांक 02/02/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पेन्शन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. शासन वित्त विभाग भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
7. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल म0प्र0

2/2/18

F:\A-AUDIT 2018\10 SUNITA MEDAM\LETTER AUDIT.DOCX 29

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट/2017–18/912 भोपाल,दिनांक 02/02/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – खण्डवा, रीवा, सागर, सिंगरौली
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला – सीधी
मध्यप्रदेश ।

विषयः– राज्य बजट मद से "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम से जारी क्रयादेशों का भुगतान दिनांक 01.04.2017 से कॉर्पोरेशन के केन्द्रीय बैंक खाते (पंजाब नेशनल बैंक) से करने बावत्।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक 6/बजट/2017–18/36 दिनांक 18.04.2017 ।

00000

उपरोक्त विषयांर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना क्रमांक 9812– **उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना** योजना अंतर्गत औषधि 34–002 मद में उपलब्ध राशि का आवंटन "एम. पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम पर आपको वर्चुअल लिमिट जारी की जा रही है । अतः सूचनार्थ एवं परीक्षण उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

वर्चुअल लिमिट का विवरण योजना/मद सेगमेंट वार

स.क.	जिले एवं कार्यालय का नाम	पूर्ण लेखाशीर्ष	वर्चुअल लिमिट राशि (रू0 में)
1	CMHO Khandwa	19-2210-03-198-9812-0101-34-002	300000
2	CMHO Rewa		300000
3	CMHO Sagar		300000
4	CMHO Singrauli		300000
5	CS Sidhi		300000
		Total	**1500000**

अतः सीएमएचओ, सीएस कार्यालय हेतु **राशि रू 1500000** का आवंटन पेपर लिमिट के रूप में कार्पोरेशन को दिया जा रहा है।

संचालक, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

(डॉ. राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

पृ. क्रमांक 6/बजट/2017–18/913 भोपाल,दिनांक 02/02/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, म0प्र0 ।
3. प्रबंध संचालक, कार्पोरेशन की और, अनुरोध है, कि आप निम्नानुसार वर्चुअल लिमिट लेखाशीर्षवार प्राधिकारवार सिस्टम में अपलोड कराने हेतु प्रेषित तथा आपका वास्तविक देयक नियमानुसार परीक्षण आवश्यक प्रमाणन के उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रेषित किया जाये, जो कि नियमानुसार कोषालय के माध्यम से प्रतिपूर्ति राशि प्रदाय की जायेगी ।
4. आहरण संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
5. प्रभारी, एमआईएस, विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त) 2/2/18